कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

Phone : Off – 06582-256366; Resi – 06582-290093, E-mail-sarandadfo@gmail.com

जहाँ है हरियाली । वहाँ है खुशहाली ।

पत्रांक 772 / चाईबासा, दिनांक 26.04.2017 /

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

विषयः– गुवा लिंक पथ MDR (187) हाथी चौक (बरायबुरू से गुवा) तक वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निमाण कार्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत 2.356 हे0 वनभूमि का स्थायी अपयोजन एवं 0.2 हे0 अस्थायी अपयोजन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु समर्पित Online प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 792 दिनांक 25.04.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर का पत्रांक 1033 दिनांक 22.04.2017 के द्वारा विषयगत अपयोजन प्रस्ताव 2.356 हे0 वनभूमि के बारे में उठाई गई 03(तीन) बिन्दुओं का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् है:–

1. Part-II के कम संख्या 8(i) में अंकित – NO के बारे में टिपणी की गई कि उक्त परियोजना Elephant Corridor के अन्तर्गत है। इस बारे में स्पष्ट करना है कि अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि Elephant Corridor का Part नहीं है। सारण्डा वन क्षेत्र के अन्तर्गत 02 (दो) Elephant Corridor चिन्हित किया गया है (1) अँकुवा–अम्बिया एवं (2) कारो–करमपदा। ये दोनों Elephant Corridor प्रस्तावित अपयोजन क्षेत्र से काफी दूर है।
2. Part-II के कम संख्या 8(i) में उल्लेखित वन्य प्राणियाँ वस्तुतः Rare/ endangered species अन्तर्गत नहीं है, इसलिए कम संख्या 8(v) में NO अंकित किया गया है।
3. अपयोजन प्रस्ताव पूर्व निर्मित पथ का चौड़ीकरण के लिए 2.356 हे0 हेतु है न कि नया पथ निर्माण का प्रस्ताव है। पश्चिमी सिंहभूम उग्रवाद प्रभावित जिले के अन्तर्गत है। कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम,1980 के General Approval के प्रावधानों के तहत अपयोजन स्वीकृति के लिए उल्लेख किया है। जन कल्याण कार्यो के लिए General Approval के तहत अपयोजन स्वीकृत्यादेश के कई सामान्य शर्त्तो में छूट /शिथिलता दी गई है। इसलिए वन्य प्राणी प्रबंधन योजना प्रस्ताव के साथ समर्पित नहीं की गई है। ऐसे भी सिंहभूम में वन्य प्राणी प्रबंधन के लिए डा0 डी0 एस0 श्रीवास्तव द्वारा समेकित वन्य प्राणी प्रबंधन की योजना तैयार कर समर्पित की गई है जिसमें सभी पट्टेधारियों को समानुपातिक रूप में राशि जमा करने की बात उल्लेखित है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

आपका विश्वासी,

26/4/17

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सारण्डा वन प्रमण्डल,चाईबासा।